**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या: *185**
**31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का सुदृढ़ीकरण**

**†*185. श्रीमती मालविका देवीः**
**श्री नलिन सोरेनः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में, नबरंगपुर, बस्तर और कांकेर के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, जिला-वार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वीकृत और कार्यरत हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना, उन्नयन और कार्यकरण के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से केन्द्रीय बजट 2026-27 के विशेष उपबंधों के अंतर्गत विशेष रूप से आकांक्षी जिलों, ग्रामीण, जनजातीय बहुल क्षेत्रों और अल्पसेवित क्षेत्रों में विशेषीकृत चिकित्सा सेवाओं, आवश्यक दवाओं, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, मानव संसाधनों को सुनिश्चित करके और इनमें वृद्धि कर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और अधिक सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए नए एएएम की प्रस्तावित स्थापना, कार्यबल में वृद्धि, नैदानिक उपकरणों, टेलीमेडिसिन सुविधाओं, आवश्यक दवाओं, डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना और वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**<u>उत्तर</u>**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री**
**(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (घ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

**31 जुलाई, 2026 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.185 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक देशभर में कुल 1,86,298 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं। देश में क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

ओडिशा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 213 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बस्तर तथा कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः 682 तथा 645 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्रियाशील हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत देशभर में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं सुलभता सुनिश्चित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निर्धारित मानदंडों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन प्रस्तावों को कार्यवाही-रिकॉर्ड के रूप में अनुमोदन प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी सम्मिलित हैं, के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय धनराशि एवं व्यय का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 11,001 भवनविहीन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा 5,456 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की अवसंरचना के विकास हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए अनुदान प्रदान करने की संस्तुति की थी। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 9,863 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों द्वारा शहरी, ग्रामीण, जनजातीय बहुल तथा आकांक्षी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12 सेवा पैकेज प्रदान किए जाना अपेक्षित है। इनमें प्रजनन एवं शिशु परिचर्या सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग, प्रशामक परिचर्या एवं वृद्धजन परिचर्या, सामान्य मानसिक विकारों की परिचर्या, मादक पदार्थ सेवन संबंधी विकारों का प्रबंधन, मुख-स्वास्थ्य, कान-नाक-गला (ईएनटी) संबंधी परिचर्या तथा बुनियादी आपातकालीन परिचर्या शामिल हैं।

इन विस्तारित सेवाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औषधियों एवं नैदानिक जांचों की सूची का विस्तार कर देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)-आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 179 औषधियों एवं 63 नैदानिक जांचें तथा उप-स्वास्थ्य केंद्र(एसएचसी)-आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 113 औषधियों एवं 14 नैदानिक जांचें उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी

(सीएचओ), सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (एएनएम), बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी (पुरुष) तथा संबंधित कार्यक्षेत्र में कार्यरत आशाकर्मी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी-एएएम) के लिए चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य सहयोगी तथा प्रयोगशाला तकनीशियन शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) सेवाओं को डिजिटल रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए अंतर-प्रचालनीय डिजिटल पोर्टलों के सेट द्वारा समर्थित किया जाता है। निर्बाध डाटा प्रवाह और परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रयास में, इस मंत्रालय ने स्वस्थ भारत पोर्टल - एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच, जो कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सिंगल-विंडो पहुंच प्रदान करता है, शुरू किया गया है, जिससे स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं संबंधी डाटा रिपोर्टिंग का भार कम होता है और रोगी परिचर्या को प्राथमिकता मिलती है।

इसके अतिरिक्त, दवाओं की उपलब्धता को औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) पोर्टल के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जिससे एंड-टू-एंड डिजिटल वस्तु-सूची प्रबंधन, रियल-टाइम में स्टॉक निगरानी और सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी संभव हो सके और स्टॉक-आउट को न्यूनतम किया जा सके।

एएएम पोर्टल के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में जनजातीय जिलों में कुल 31,347 एएएम और आकांक्षी जिलों में 27,775 एएएम को भी कार्यशील किया गया है।

देश भर के सभी कार्यशील एएएम पर उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ व्यक्तियों को उनके घरों के समीप विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे स्वयं पहुँचने की चुनौतियाँ और सेवा प्रदाताओं की कमी का समाधान होता है तथा परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

कुल 1,546 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) को एनएचएम के तहत दूरस्थ, दुर्गम क्षेत्रों, अल्पसेवित और दुर्गम गांवों में आउटरीच सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता दी जाती है। एनएचएम के तहत देशभर में रोगियों के परिवहन हेतु राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस), बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस), रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी), बोट एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन की सहायता दी जाती है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यशील एएएम की संख्या:

| क्र.सं. | राज्य का नाम | कार्यशील एएम की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 129 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 11,873 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 510 |
| 4 | असम | 4,966 |
| 5 | बिहार | 12,444 |
| 6 | चंडीगढ़ | 60 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 5,898 |
| 8 | दिल्ली | 389 |
| 9 | दादरा व नगर हवेल और दमन व दीव | 88 |
| 10 | गोवा | 310 |
| 11 | गुजरात | 10,625 |
| 12 | हरियाणा | 3,272 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 2,845 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 3,173 |
| 15 | झारखंड | 4,181 |
| 16 | कर्नाटक | 10,137 |
| 17 | केरल | 7,207 |
| 18 | लद्दाख | 321 |
| 19 | लक्षद्वीप | 13 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 12,775 |
| 21 | महाराष्ट्र | 13,457 |
| 22 | मणिपुर | 420 |
| 23 | मेघालय | 641 |
| 24 | मिजोरम | 416 |
| 25 | नागालैंड | 485 |
| 26 | ओडिशा | 7,379 |
| 27 | पुदुच्चेरी | 133 |
| 28 | पंजाब | 3,322 |
| 29 | राजस्थान | 14,494 |
| 30 | सिक्किम | 183 |
| 31 | तमिलनाडु | 8,454 |
| 32 | तेलंगाना | 5,038 |
| 33 | त्रिपुरा | 1,133 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 23,646 |
| 35 | उत्तराखंड | 2,364 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 13,517 |
| | **कुल** | **1,86,298** |

अनुलग्नक-**II**

**वित्त वर्ष** 2023-24 **से** 2025-26 **तक एनएचएम के अंतर्गत एएएम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय राशि एवं व्यय**

**करोड़ रु.में**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **2023-24** | | **2024-25** | | **2025-26** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **केंद्रीय निर्गत** | **व्यय** | **केंद्रीय निर्गत** | **व्यय** | **केंद्रीय निर्गत** | **व्यय** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 37.84 | 40.71 | 49.99 | 44.41 | 44.41 | 48.48 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,096.01 | 2,833.44 | 1,319.61 | 2,439.82 | 1,162.85 | 2,764.51 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 404.55 | 399.44 | 388.86 | 472.93 | 349.93 | 411.14 |
| 4 | असम | 2,257.06 | 2,626.87 | 2,076.25 | 2,607.54 | 2,318.22 | 2,601.84 |
| 5 | बिहार | 2,032.95 | 4,010.97 | 2,367.18 | 4,466.31 | 2,508.99 | 4,287.22 |
| 6 | चंडीगढ़ | 30.58 | 31.85 | 43.43 | 37.29 | 50.53 | 49.53 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 875.80 | 1,743.79 | 969.11 | 1,784.09 | 1,159.42 | 2,121.60 |
| 8 | दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव | 39.92 | 41.96 | 40.96 | 40.47 | 49.12 | 43.02 |
| 9 | दिल्ली | 150.54 | 338.41 | 240.39 | 365.44 | 346.34 | 547.04 |
| 10 | गोवा | 48.97 | 84.53 | 55.06 | 95.17 | 51.20 | 90.20 |
| 11 | गुजरात | 1,506.96 | 4,040.00 | 1,324.86 | 3,198.15 | 1,362.72 | 2,757.10 |
| 12 | हरियाणा | 524.01 | 1,221.41 | 562.49 | 1,127.06 | 636.01 | 1,402.07 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 470.36 | 629.76 | 523.70 | 654.52 | 572.05 | 653.43 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 805.22 | 956.95 | 1,040.76 | 1,110.30 | 1,017.14 | 1,180.71 |

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय |
| 15 | झारखंड | 958.06 | 1,992.91 | 964.31 | 1,986.59 | 984.57 | 1,873.32 |
| 16 | कर्नाटक | 1,187.60 | 2,741.98 | 1,295.81 | 2,478.23 | 1,268.26 | 2,513.61 |
| 17 | केरल | 189.15 | 1,246.25 | 1,351.78 | 1,422.88 | 813.16 | 1,743.43 |
| 18 | लद्दाख | 120.44 | 119.67 | 135.98 | 150.50 | 142.24 | 138.98 |
| 19 | लक्षद्वीप | 3.79 | 7.10 | 9.68 | 10.00 | 12.94 | 10.40 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 2,545.68 | 5,202.61 | 2,430.91 | 5,225.77 | 3,047.35 | 5,628.05 |
| 21 | महाराष्ट्र | 2,729.30 | 5,001.70 | 2,417.95 | 4,364.86 | 2,496.92 | 5,149.77 |
| 22 | मणिपुर | 169.12 | 159.32 | 279.16 | 295.79 | 255.54 | 366.92 |
| 23 | मेघालय | 261.39 | 305.83 | 297.95 | 393.01 | 336.52 | 377.57 |
| 24 | मिजोरम | 134.42 | 179.84 | 159.96 | 174.67 | 179.13 | 206.88 |
| 25 | नागालैंड | 184.84 | 196.69 | 204.47 | 243.60 | 187.95 | 228.10 |
| 26 | ओडिशा | 1,901.77 | 3,356.68 | 1,916.79 | 3,585.01 | 1,760.71 | 4,330.21 |
| 27 | पुदुच्चेरी | 30.80 | 45.74 | 26.27 | 49.27 | 30.83 | 56.40 |
| 28 | पंजाब | 91.49 | 1,428.94 | 878.21 | 1,027.72 | 724.47 | 1,146.42 |
| 29 | राजस्थान | 2,785.46 | 4,350.63 | 2,398.62 | 4,772.33 | 2,360.80 | 4,540.21 |
| 30 | सिक्किम | 68.17 | 75.77 | 81.67 | 89.59 | 99.18 | 117.93 |
| 31 | तमिलनाडु | 1,996.06 | 3,104.16 | 1,742.67 | 3,461.74 | 1,714.44 | 3,191.61 |
| 32 | तेलंगाना | 564.93 | 1,288.75 | 1,110.43 | 1,872.42 | 868.92 | 1,452.06 |
| 33 | त्रिपुरा | 264.31 | 309.62 | 268.67 | 279.35 | 331.00 | 382.15 |

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय | केंद्रीय निर्गत | व्यय |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 4,928.14 | 10,572.60 | 5,853.43 | 10,377.16 | 5,686.12 | 11,069.32 |
| 35 | उत्तराखंड | 711.33 | 709.79 | 604.05 | 760.15 | 620.69 | 722.30 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 890.42 | 3,641.98 | 688.44 | 3,583.07 | 1,324.66 | 3,588.42 |
| | **कुल** | **32,997.43** | **65,038.66** | **36,119.87** | **65,047.23** | **36,875.33** | **67,791.93** |

नोट:

1. उपरोक्त निर्गत में केंद्रीय सरकारी अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि शामिल है।
3. व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और ये अनंतिम हैं।

******